पत्र सं0–बी/विविध (तेजाब हमला)–17/2015–............../

बिहार सरकार
गृह विभाग
(विशेष शाखा)

प्रेषक,

विमलेश कुमार झा
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना
पुलिस महानिरीक्षक (कमजोर वर्ग)
अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक, बिहार
सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार

पटना, दिनांक–............../ 2016

विषय:– बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत स्कीम प्रभावी होने से पूर्व को तेजाब हमले की घटनाओं के पीड़ित को मुआवजा भुगतान के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में जिला पदाधिकारी, सिवान द्वारा सूचित किया गया है कि पीड़िता अनुपमा कुमारी पर तेजाब हमला की घटना के फलस्वरूप जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सिवान द्वारा मुआवजे की कुल राशि 3,00,000/–(तीन लाख) रूपये का भुगतान बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत किया गया है।

आप सभी विदित है कि राज्य में "बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2014" विधि विभाग, बिहार, पटना द्वारा 24 मार्च, 2014 से लागू है तथा इससे पूर्व बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011, दिनांक–28 जुलाई, 2011 के प्रभाव में थी। कतिपय जिला के पदाधिकारियों द्वारा प्रेच्छा की गई है कि क्या बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2014 के तहत उन मामलों में भी तेजाब हमले के पीड़ितों को मुआवजा देय होगा, जिनमें घटना स्कीम लागू होने के पूर्व घटित हुई है ?

इस संबंध में विधि विभाग, बिहार, पटना से मंतव्य प्राप्त किया गया है जिन्होंने बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्र संख्या– 214/BSLSA/ACCT/340, दिनांक– 04.02.2015 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा संसूचित निम्न मंतव्य से अवगत कराया गया है :–

"Queries have been made from time to time by some DLSA as to whether a victim who sustained injury before framing of Bihar Victim Compensation Scheme or insertion of section 357 A in Cr.P.C. May be given victim compensation under Bihar Victim Compensation Scheme, 2014 or not.

(कृ0पृ0उ0)

The matter was placed before Hon'ble Executive Chairman of BSLSA and on consideration of definition of the word "Victim" in section 2(wa) and section 8 of Bihar Victim Compensation Scheme, 2014, and the fact that a victim continues to be a victim even after date of occurrence and he or she may require treatment or rehabilitation after implementation of victim compensation scheme also. His Lordship has been pleased to record following minute on 27.01.2015.

> **"A victim who sustained loss or injury before insertion of section 357A in Cr. P.C. or before framing of Victim Compensation Scheme may be granted compensation under the said scheme"**

However, the chairman, DLSA should consider condonation of delay under section 8 of victim compensation scheme before ordering for payment of such compensation.

अतः अनुरोध है कि बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2014 के लागू होने से पूर्व के तेजाब हमले की घटनाओं में पीड़ितों को मुआवजा/निःशुल्क चिकित्सा/काण्ड के अनुसंधान के संबंध में विधि विभाग, बिहार, पटना द्वारा संसूचित मंतव्य के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाए।

अनु0–यथोपरि।

विश्वासभाजन

ह0/–

(विमलेश कुमार झा)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–9256/ पटना, दिनांक–29-9-/ 2016

प्रतिलिपि– सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2. सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

29/9/16

(विमलेश कुमार झा)

सरकार के उप सचिव